उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यूटी) (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1972*

(उत्तर प्रदेश भ्रघिनियम संख्या 10, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 जनवरी, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान ' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 23 जनवरी, 1972ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25 जनवरी, 1972ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यटी) म्रधिनियम, 1952 में भीर संगोधन करने के लिये

ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित ग्रधिनियम बनाया जाता है :---

1--(1) यह ग्रधिनियम उत्तर प्रदेश इलेनिट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) ग्रधिनियम, 1972 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह 1 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुम्रा समझा जायेगा।

2--उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) श्रिधिनियम, 1952 की घारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "चालीस पैसे" जहां भी श्राये हों, के स्थान पर शब्द "पचास पैसे" रख दिये जायें।

उ० प्र० श्रश्चि-नियम सं० 33, 1952की धारा 3 में संशोधन

^{*[}उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

ITTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1972° (U. P. ACT No. 10 of 1972)

[Authoritative English Text† of the Utlar Pradesh Electricity (Duly) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]

An ACT

further to amend the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Short title and commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 1972.
- 2. In section 3 of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952, in Amendment of section 3 of U.P. sub-section (2), for the words, "forty paise" wherever occurring, the words, Act XXXIII of 1952.

^{*(}For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated January 6,

^{†(}Passed in Hindi by the Uttar Pradosh Legislative Assombly on January 7, 1972 and by the Uttar Pradesh (egislative Council on January 13, 1972.)

⁽Received the Assent of the Governor on January 23, 1972, under Article 200, of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated January 25, 1972.)